रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 1, 2008/आषाढ़ 10, 1930
No. 357] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 1, 2008/ASADHA 10, 1930

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2008

सा.का.नि. 488(अ).—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 34(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम निम्नानुसार बनाए गए हैं :—

1. लघुशीर्ष और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, (रजिस्ट्रार) भर्ती नियमावली, 2008 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) 'अधिनियम' का अर्थ राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम, 2007 है।

(ख) रजिस्ट्रार का अर्थ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का रजिस्ट्रार है।

3. भर्ती का तरीका और अन्य मामले.—रजिस्ट्रार के पद की भर्ती की प्रणाली और अन्य मामले इन नियमों में संलग्न अधिसूची के स्तंभ 1 से 7 में विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार होंगे।

4. ऐसा कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,—

(i) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, या

(ii) जिसने अपनी पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है।

केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट दे सकती है यदि वह इससे संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।

5. छूट देने का अधिकार.—जहाँ केन्द्र सरकार को यह आवश्यक अथवा उचित लगे वह किसी वर्ग या श्रेणी या व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकती है तथा इसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया जाए।

6. बचत.—इन नियमों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों को इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशानुसार इन्हें प्रदान किए जाने वाले आरक्षण अथवा आयु में छूट या पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. सेवाओं की अन्य शर्तें.—रजिस्ट्रार की सेवाओं की अन्य शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें उन नियमों के आधार पर अधिनियमित किया जा सकता है जो समय-समय पर केन्द्र सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों के समकक्ष वेतनमान में वेतन और भत्तों पर लागू होते हैं।

अनुसूची

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में रजिस्ट्रार के पद हेतु प्रस्तावित भर्ती नियम

1.	पद	:	रजिस्ट्रार
2.	वेतनमान	:	16,400-450-20,900-500-22,400 रुपये
3.	अर्हता	:	अनिवार्य :

1. कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समकक्ष

2. लेक्चरर/सहायक प्रोफेसर के रूप

में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से आठ वर्ष सहायक प्रोफेसर वर्ग के रूप में हों, और शैक्षिक प्रशासन का अनुभव ।

अथवा

15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें से 8 वर्ष उप रजिस्ट्रार अथवा उसके समकक्ष पद पर हों । 55 प्रतिशत अंकों की न्यूनतम अर्हता उन पदधारियों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रणाली में कार्य कर रहे हैं ।

अथवा

अनुसंधान संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं अथवा सरकार में समतुल्य अनुभव ।

वांछनीय :

1. 60 प्रतिशत अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड सहित इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री ।
2. विधि/प्रबंधन में डिग्री ।
3. शिक्षा प्रशासन, वित्तीय तथा लेखा प्रबंधन में समुचित अनुभव तथा आवासीय संस्था में प्रशासन चलाने की क्षमता और कम्प्यूटर तथा वेब आधारित प्रशासन का ज्ञान ।
4. उत्कृष्ट मानव संबंधों तथा सफल कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंधों, परिसर प्रबंधन में अनुभव और किसी बड़ी शैक्षिक अथवा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रशासन संबंधी अनुभव । भिन्न-भिन्न विशेषज्ञता वाले अधिकारियों के दल का समन्वय एवं नेतृत्व करने की सक्षम योग्यता ।

4. भर्ती की प्रक्रिया : मुक्त विज्ञापन के जरिए ।

5. चयन समिति का गठन : निम्नानुसार गठित सांविधिक चयन समिति द्वारा चयन :

1. संस्थान के निदेशक/उप निदेशक
2. संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ
3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नामिती
4. बोर्ड के दो नामिती

6. कार्य का स्वरूप : संस्थान का रजिस्ट्रार संस्थान के रिकार्डों, साझा सील तथा निधियों और संस्थान की किसी ऐसी संपत्ति जो कि बोर्ड उसके अधिकार में सौंपता है, का परिरक्षक होगा। वह शासी बोर्ड, सीनेट तथा ऐसी समितियों का सचिव होगा जैसा कि सांविधि द्वारा निर्धारित किया जाए । उसे निदेशक को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करानी होगी तथा उसे निदेशक अथवा शासी बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कर्तव्य को पूरा करना होगा । रजिस्ट्रार को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और ऐसे दायित्वों को पूरा करना चाहिए जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान अधिनियम अथवा सांविधि अथवा निदेशक द्वारा सौंपे जाएं ।

7. सामान्य शर्तें :

1. अभ्यर्थी 55 वर्ष आयु से अधिक नहीं होना चाहिए ।
2. नियुक्ति प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर 5 वर्ष या 60 वर्ष आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी ।
3. नियुक्ति का दूसरे समयावधि के लिए नवीनीकरण किया जा सकता है ।
4. वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त, छुट्टियाँ, मेडिकल सुविधाएं इत्यादि नियमों के अनुसार देय होगी ।
5. निर्धारित योग्यताएं न्यूनतम हैं और अभ्यर्थी के पास इन योग्यताओं के होने से वह साक्षात्कार के लिए बुलाने का हकदार नहीं होगा ।
6. संस्था के पास इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यताओं एवं अनुभव से अधिक योग्यताओं एवं अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या को एक उचित सीमा तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित है ।
7. संस्था के पास किसी भी या सभी आवेदन-पत्रों को उसके लिए बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
8. सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संगठनों, निगमों, बोर्डों इत्यादि में कार्य कर रहे व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं ।

[सं. एफ. 20-6/2005-टी एस III (खंड)]

एन. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2008

G.S.R. 488(E).—In exercise of the powers conferred by Section 34 (1) of the National Institutes of Technology Act, 2007, the Recruitment Rules for the post of Registrar in National Institutes of Technology (NITs) are made as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the National Institutes of Technology (NITs), (Registrar) Recruitment Rules, 2008.

(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— In these Rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means National Institutes of Technology Act, 2007.

(b) "Registrar" means the Registrar of a National Institute of Technology (NIT).

3. Method of Recruitment and other matters.—The method of recruitment and other matters relating to the post of Registrar shall be as specified in columns 1 to 7 of the Schedule annexed to these Rules.

4. Disqualification.—No person,

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this Rules.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. Other conditions of services.—The other conditions of services of the Registrar for which no specific provisions have been provided in these Rules, shall be regulated in accordance with such Rules, as are from time to time, applicable to Officers of the Central Government Group "A", drawing the pay and allowances in corresponding scale of pay.

SCHEDULE

Proposed Recruitment Rules for the Post of Registrar in NITs

1. Designation — Registrar

2. Scale of Pay — Rs. 16,400-450-20,900-500-22,400

3. Qualification — **Essential :**

   1. Master's degree with at least 55% marks or its equivalent.
   2. At least 15 years of experience as Lecturer/Assistant Professor of which eight years should be in Assistant Professor grade, with experience in Educational Administration.

      OR

      15 Years of administrative experience out of which eight years as Deputy Registrar or an equivalent post. The minimum requirement of 55% marks shall not be insisted upon in the case of exiting incumbents who are already in the NIT system.

      OR

      Comparable experience in research establishments, institutions of technical education, or in Government.

   Desirable :

   1. A postgraduate degree in Engineering with at least 60% marks or its equivalent grade.
   2. A Degree in Law/Management.
   3. Considerable experience in educational administration, financial and accounts management and capacity to lead the administration in a residential institution and knowledge of computer and web-based administration.
   4. Proven experience in excellent human relations and successful personnel management, industrial relations, campus management and other aspects of administration, preferably in a large educational or R & D institution. All-round ability to co-ordinate and lead a team of officers with varied expertise.

4. Mode of recruitment — Through open advertisement.

5. Composition of Selection Committee — Selection by statutory Selection Committee constituted as follows :

   1. Director/Dy. Director of the Institute.
   2. One expert from outside the Institute.

		3. Nominee of MHRD.
		4. Two Nominees of the Board.
6.	Job Description	The Registrar of the Institute is the custodian of records, the common seal and funds of the Institute and such other property of the Institute as the Board shall commit to his charge. He is the Secretary of the Board of Governors, Senate and such committees as may be prescribed by the Statutes. He is required to provide administrative support to the Director and may be called upon to take up any other duties assigned by the Director or the Board of Governors. The Registrar shall also exercise such other powers and perform such other duties as may be assigned to him by the NIT Act or the statutes or by the Director.
7.	General Conditions	1. The applicant should not be more than 55 years of age. 2. The appointment will be on Deputation/Contract Basis for five years or till the age of 60 years, whichever is earlier. 3. The appointment can be renewed for another term. 4. Besides, pay and allowances, leave, medical facilities, etc. are admissible as per Rules. 5. The prescribed qualifications are minimum and the mere fact that a candidate possesses the same will not entitle him/her to be called for interview. 6. The Institute reserves the right to restrict the number of candidates for interview to a reasonable limit, on the basis of qualifications and experience, higher than those prescribed in this advertisement. 7. The Institute also reserves the right of rejecting any or all the applications without assigning any reasons therefore. 8. Persons serving in Government Departments, Autonomous Organizations, Corporations, Boards etc, may also apply through proper channel, for appointment on deputation.

[No. F. 20-6/2005-TS. III (Pt.)]
N. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.